/

पत्र संख्या- 1/प्रा0आ0-0-3-10/17..................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
खगड़िया/पूर्वी चम्पारण/प0 चम्पारण/मधेपुरा/दरभंगा/सीतामढ़ी/अररिया।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- **वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–114– कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष–0001– कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) विपत्र कोड–39–2245021140001 में कुल ₹1125.00(ग्यारह करोड़ पचीस लाख रूपये) आवंटन की स्वीकृति।**

आदेश:-स्वीकृत ।

इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष- 02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष- 114- कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0001- कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) मद के अन्तर्गत मूल बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष/उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :-

लघुशीर्ष-114- कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता।

उपशीर्ष-0001-कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए)

माँग संख्या-39 विस्तृत शीर्ष-35-राहत, विषय शीर्ष-01 नगद/वस्तु

(राशि रूपये लाख में)

क्र०	जिला	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अधियाचित राशि	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017–18)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017–18)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2017–18)
1.	2.	3	4	5	6	7
1	खगड़िया	1508.60	203.6816	40.00 (चालीस लाख)	50.00 (पचास लाख)	90.00 (नब्बे लाख)
2	पूर्वी चम्पारण	7714.68	1033.7178	40.00 (चालीस लाख)	200.00 (दो करोड़)	240.00 (दो करोड़ चालीस लाख)
3	पश्चिम चम्पारण	5895.33	696.54339	40.00 (चालीस लाख)	140.00 (एक करोड़ चालीस लाख)	180.00 (एक करोड़ अस्सी लाख)
4	मधेपुरा	1035.40	139.779	40.00 (चालीस लाख)	35.00 (पैंतीस लाख)	75.00 (पचहत्तर लाख)
5	दरभंगा	13600	1512.0148	40.00 (चालीस लाख)	300.00 (तीन करोड़)	340.00 (तीन करोड़ चालीस लाख)
6	सीतामढ़ी	11273	1521.855	40.00 (चालीस लाख)	300.00 (तीन करोड़)	340.00 (तीन करोड़ चालीस लाख)
7	अररिया	3442	464.67	30.00 (तीस लाख)	100.00 (एक करोड़)	130.00 (एक करोड़ तीस लाख)
कुल योग			5572.26159	270.00 (दो करोड़ सत्तर लाख)	1125.00(ग्यारह करोड़ पचीस लाख)	1395.00 (तेरह करोड़ पनचानबे लाख)

4. यह आवंटन रबी/गर्मा 2016-17 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों के निमित कृषि विभाग के पत्रांक 1956 दिनांक–11.05.2017 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **अनुरोध है कि फसल बीमा योजना से आच्छादित कृषकों /भूमि हेतु कृषि इनपुट अनुदान नहीं दिया जाय तथा आवंटित राशि के शतप्रतिशत व्ययोपरान्त ही अतिरिक्त राशि की अधियाचना की जाए।**

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता

प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक–17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक–../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक–..........15........................../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 18/05/17

प्रतिलिपिः जिला कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया/पूर्वी चम्पारण/प0 चम्पारण/मधेपुरा/दरभंगा/सीतामढ़ी/अररिया को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव